भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4408
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 फरवरी 2014 को दिया जाना है

भेल की भूमि पर अतिक्रमण

4408. श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की लगभग 250 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उस भूमि पर 12000 झुग्गियां बना दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वहां झुग्गियां कब से बनना शुरू हुई हैं और इनको इनके आरंभ से ही नहीं रोके जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त भूमि को खाली कराने के लिए और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि पर अतिक्रमण के ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क) और (ख): वर्तमान में, भोपाल स्थित बीएचईएल इकाई की लगभग 150 एकड़ भूमि पर झुग्गीवासियों/गंदी बस्ती में रहने वालों का अतिक्रमण है। बीएचईएल ने अपनी भूमि, जिस पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, को बचाने के लिए नियमित रूप से निगरानी और बेदखली की कार्रवाई के उपाय किए हैं।

(ग): भोपाल में भूमि पर झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण 1960 के दशक से शुरू हो गया था। वैसे, बीएचईएल ने अपनी भूमि, जिस पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, को बचाने के लिए नियमित रूप से निगरानी और बेदखली की कार्रवाई के उपाय किए हैं। चूंकि झुग्गीवासियों द्वारा भूमि के अतिक्रमण में अन्य बातों के साथ-साथ, कानून और व्यवस्था का मुद्दा भी शामिल है, इसलिए झुग्गीवासियों/गंदी बस्ती में रहने वालों को हटाने/नए स्थान पर बसाने के लिए बीएचईएल ने स्थानीय प्रशासन से सहायता की मांग की है।

(घ): भोपाल में अपनी भूमि पर से झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण को हटवाने के लिए कानून लागू कराने वाली एजेन्सियों द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु बीएचईएल मामले को नियमित रूप से राज्य सरकार के साथ उठा रहा है।

*****